न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0), सोनभद्र

वारण्ट एण्ड सम्मन केसेज संख्या–32 सन् 2023

बसन्ती देवी **बनाम** जयराज राम व अन्य

थाना–पिपरी, जनपद सोनभद्र

–:आदेश पत्रक:–

18.04.2024

पत्रावली तलबी आदेश हेतु नियत है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना जा चुका है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादिनी बसन्ती देवी की ओर से दिनांक 08.06.2022 को थाना पिपरी, जनपद सोनभद्र में इस आशय की तहरीर दाखिल की गयी कि उसने दिनांक 26.06.2018 को अपराध संख्या–52 सन् 2018 तथा दिनांक 01.06.2022 को अपराध संख्या–70 सन् 2022 अभियुक्तगण के विरूद्ध लिखवायी है जिसमें अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण लगातार प्रार्थिनी व उसके परिवार के साथ मार पीट, झगड़ा फसाद करते हुए जीना दुश्वार कर दिये हैं। वादिनी तथा उसके परिवार को गवाही से जयराज व जोगिन्दर सोनी व अन्य विपक्षीगण रोक रहे हैं। घटना दिनांक 07.06.2022 की रात लगभग 11:15 बजे की है। वादिनी का बेटा विजय शंकर जो हिण्डालको में नौकरी करता है, उसे देखने के लिए वादिनी की बेटी पूर्णिमा दरवाजा खोलकर बाहर झांकी तो वहां पहले से मौजूद राकेश सोनी ने वादिनी की पुत्री का बाल पकड़ कर खींच लिया और उसका मुंह दबाकर उसके साथ छेड़खानी करते हुए खींचकर अपने घर की तरफ ले जाने लगा। इतने में वादिनी का बेटा विजय शंकर वहां आ पहुंचा। पहले से ही घात लगाकर मुन्नी देवी व उसकी तीन बहुऐं पिंकी, वीना व राकेश की औरत धीरेन्द्र के मकान पर बैठी थी जो कि आते ही औरतें लड़के पर टूट पड़ी तथा चप्पल, लात घूसा से मारने लगी एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करके गालियां देने लगी तथा उसके गले में सोने की चैन व जेब में रखे पन्द्रह सौ रूपये भी छीन ली। वादिनी तथा उसके पति एवं मुहल्ले के लोग जुट गये। किसी तरह जान बचाकर लड़का लड़की घर में भागे तब तक जोगिन्दर सोनी, बृजेश सोनी, मुकेश सोनी अपने साथ 12–14 अज्ञात लोगों को लेकर आ पहुंचे तथा जातिसूचक गालियां देते हुए मुकदमा वापस लेने के लिए बोलते हुए दरवाजा पीटने लगे। उनके हाथों में मोटर की चैन व राड थी। वादिनी तथा उसके घर वाले दरवाजा बन्द करके अन्दर हो गये थे। बृजराज सोनी एवं धीरेन्द्र सोनी मिलकर हत्या की साजिश रचे थे। वादिनी ने 100 नम्बर पर कई बार डायल किया, मगर नहीं लगा। चौकी इन्चार्ज को फोन किया तो उन्होंने कहा कि थाने पर आओ किन्तु विपक्षीगण के डर के कारण घर से निकलने लायक नहीं था तब वादिनी ने पुलिस अधीक्षक को फोन किया तो उन्होंने पुलिस भेजा। पुलिस के आने की आहट सुनकर जो 12–14 लोग आये थे, बाइक पर सवार होकर फरार हो गये। इतने में जोगिन्दर की बहुओं ने अपना कपड़ा फाड़ दिया और वादिनी के बेटे पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया। रात से ही वादिनी के बेटे विजय शंकर को पुलिस ने थाने में बन्द करके रखा है।

वादिनी के उपरोक्त तहरीर के आधार पर दिनांक 27.07.2022 को मु0अ0सं0–99 सन् 2022 पर अभियुक्तगण जयराज, जोगिन्दर सोनी, राकेश सोनी, मुन्नी देवी, पिंकी, राकेश की औरत, बृजेश सोनी, मुकेश सोनी, बृजराज सोनी एवं धीरेन्द्र सोनी के विरूद्ध धारा–147, 323, 504, 506, 354, 392 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(1)द एवं 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य न पाते हुए विवेचक द्वारा बाद विवेचना अन्तिम रिपोर्ट संख्या–15 सन् 2022 दिनांकित 12.10.2022 प्रेषित किया।

विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट पर सुनवाई किए जाने हेतु वादिनी मुकदमा को नोटिस जारी किया गया। वादिनी मुकदमा उपस्थित आयी और उसकी ओर से प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र कागज संख्या–9ख दाखिल किया गया। वादिनी की ओर से दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.2023 को आदेश पारित किया गया तथा उक्त आदेश के माध्यम से पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या–15 सन् 2022 दिनांकित 12.10.2022 को निरस्त कर दिया गया तथा वादिनी की ओर से दाखिल प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया।

वादिनी द्वारा अपने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र 9ख में तहरीर दिनांकित 08.06.2022 का समर्थन करते हुए यह भी कथन किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक अभियुक्तगण से मिलकर अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दिया गया है तथा तहरीर दिनांकित 08.06. 2022 के आधार पर मुकदमा लगभग डेढ़ माह बाद पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा वादिनी पक्ष का आधा अधूरा बयान दर्ज किया गया।

परिवादिनी की ओर से अपने कथन के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में धारा–200दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को परीक्षित कराया है। परिवादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–200दं0प्र0सं0 में तहरीर में वर्णित कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया है कि राकेश सोनी ने उसकी पुत्री के साथ छेड़खानी की तथा उसके गुप्तांग में उंगली डाल दी। धारा–202दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादिनी की पुत्री पूर्णिमा कुमारी सी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित हुई है। इस साक्षी ने भी कथित घटना के दिनांक व समय पर राकेश सोनी के द्वारा उसके साथ छेड़खानी करते हुए उसके गुप्तांग में उंगली डालने की बात बतायी है। सी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित विजय शंकर प्रसाद तथा सी0डब्लू0–3 के रूप में परीक्षित राजेन्द्र कुमार ठाकुर के द्वारा भी अपने–अपने बयानों के माध्यम से परिवादिनी एवं सी0डब्लू0–1 के द्वारा दिये गये बयानों का समर्थन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहरीर दिनांकित 08.06.2022 में परिवादिनी की पुत्री के गुप्तांग में उंगली डालने के बावत कोई तथ्य अंकित नहीं है। परिवादिनी द्वारा यह तथ्य अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किए जाने के बाद अपने प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है।

परिवादिनी द्वारा परिवाद पत्र में किये गये कथनों एवं धारा–200 दं0प्र0सं0 में शपथपूर्वक दिये गये बयानों व समर्थन में परीक्षित साक्षीगण के बयानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विपक्षी राकेश सोनी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–147, 323, 504, 506, 354 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(1)द एवं 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत तथा शेष विपक्षीगण क्रमशः जयराम राम, योगेन्द्र सोनी, इन्द्रावती देवी उर्फ मुन्नी देवी, पिंकी उर्फ शुभलक्ष्मी देवी, बीना, अंसू सोनी, बृजराज सोनी, धीरेन्द्र कुमार तथा बृजेश सोनी के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–147, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(1)द एवं 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है। अतः विपक्षीगण राकेश सोनी, जयराम राम, योगेन्द्र सोनी, इन्द्रावती देवी उर्फ मुन्नी देवी, पिंकी उर्फ शुभलक्ष्मी देवी, बीना, अंसू सोनी, बृजराज सोनी, धीरेन्द्र कुमार तथा बृजेश सोनी उपरोक्त अपराध के विचारण के लिए आहूत किए जाने योग्य हैं।

–:आदेशः–

अभियुक्त **राकेश सोनी** को धारा–147, 323, 504, 506, 354 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(1)द एवं 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट तथा अभियुक्तगण **जयराम राम, योगेन्द्र सोनी, इन्द्रावती देवी उर्फ मुन्नी देवी, पिंकी उर्फ शुभलक्ष्मी देवी, बीना, अंसू सोनी, बृजराज सोनी, धीरेन्द्र कुमार तथा बृजेश सोनी** को धारा–147, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं धारा–3(1)द एवं 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अपराध के विचारण हेतु तलब किया जाता है।

परिवादिनी द्वारा धारा–204दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पैरवी अन्दर सप्ताह किये जाने पर तथा गवाहान सूची दाखिल किए जाने के उपरान्त अभियुक्तगण को जरिए समन दिनांक 24.05.2024 के लिए तलब किया जाता है।

(आबिद शमीम),
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0) एक्ट,
सोनभद्र

दिनांकः 18.04.2024

Digitally signed by ABID SHAMIM
Date: 2024.04.18 16:43:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sonbhadra